



राजस्थान सरकार  
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता, (बारां)  
ज़िला - बारां  
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग/21364045408  
दिनांक: 23-07-2021  
आवेदक का आधार नम्बर :  
आवेदक / परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या :

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

01 श्री नितिन कुमार नागर पुत्र/पुत्री श्री हरी शंकर नागर राजस्थान राज्य के जिला बारां पता- साम दुगारी पोस्ट ठीकरिया तह  
अन्ता के/की निवासी है तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।

02 उक्त श्री नितिन कुमार नागर राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर.  
एण्ड पी./एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व  
अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 15 DHAKAD (15 धाकड़) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।

03 उक्त श्री नितिन कुमार नागर आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के किमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की  
अधिसूचना सं.प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार किमीलेयर  
(सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट :

1 : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710  
दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।

2 : उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्का द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के  
सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र भारित किया जा सकेगा।

3 : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया  
जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

4 : यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।

5 : प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन [www.emitra.rajasthan.gov.in](http://www.emitra.rajasthan.gov.in) पर स्थित ONLINE VERIFICATION  
SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या : 210379368812

\*राज्य के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अधिसूचना सं.प.11(164) आर. एण्ड पी. 09/47032 दिनांक 25.08.2009 की वैधिक संख्याओं में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, अन्ता, बारां

Signature valid

Digitally signed by RAJAT  
KUMAR VIJAY TARGIYA  
Date: 2021.07.23 14:09:28  
+05:30  
Reason: Approved  
Location: Rajasthan



EMKH 6337995

राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार